

## हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

क्रमांक : 6394 / शैक्षिक पक्ष


दिनांक : 26 .06.2018

विषय : डी.एड. इण्टर्नशिप 2014-15 के इण्टर्न को इण्टर्नशिप पूर्ण करने के लिए विशेष अवसर प्रदान करने बारे।

बोर्ड अध्यक्ष आदेश दिनांक 19.06.2018 की अनुपालना में निम्न वर्णित इण्टर्न को उसके नाम के सामने दर्शाए गए पूर्व आबंटित विद्यालय में इण्टर्नशिप के न्यूनतम 90 कार्यदिवस पूर्ण करने के लिए 05 मास की अनुमति प्रदान की गई है :

ROLL NO.	INTERN NAME	ALLOTTED SCHOOL SCHOOL/BLOCK/DISTRICT
5312121614	NARENDER	GPS DHANI BASS KIRAROAD/NARNAUL/MOHINDERGARH

संबंधित खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी पत्र प्रतिहस्ताक्षर करते हुए वर्णित इण्टर्न को उसके नाम के सामने दर्शाए गए विद्यालय में कार्यग्रहण करवाए। इस बात का ध्यान रखा जाना है कि इण्टर्न को इण्टर्नशिप के केवल न्यूनतम 90 कार्यदिवस पूर्ण करने की अनुमति प्रदान की गई है। किसी भी अवस्था में 90 कार्यदिवस से अधिक इण्टर्नशिप किए जाने की अनुमति नहीं होगी, इसलिए विद्यालय मुखिया इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इण्टर्न के 90 कार्यदिवस पूर्ण होते ही पूर्व निर्धारित फॉर्मूले अनुसार ग्रेड का आकलन करते हुए ग्रेड संबंधित डी.एड. सस्थानों को भिजवाएंगे।

  
सहायक निदेशक (शैक्षिक) 6/1/18  
कृते : सचिव

प्रतिहस्ताक्षर  
संबंधित खण्ड मौलिक शिक्षाधिकारी

# हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

दिनांक : 26.06.2018


क्रमांक : 6395 / शैक्षिक पक्ष

विषय : डी.एड. इण्टर्नशिप 2015-16 की इण्टर्न को इण्टर्नशिप पूर्ण करने के लिए विशेष अवसर प्रदान करने बारे।

बोर्ड अध्यक्ष आदेश दिनांक 19.06.2018 की अनुपालना में निम्न वर्णित इण्टर्न को उसके नाम के सामने दर्शाए गए पूर्व आबंटित विद्यालय में इण्टर्नशिप के न्यूनतम 90 कार्यदिवस पूर्ण करने के लिए 05 मास की अनुमति प्रदान की गई है :

ROLL NO.	INTERN NAME	ALLOTTED SCHOOL SCHOOL/BLOCK/DISTRICT
5313121249	SONIYA SHARMA	GPS DHANGER/KAIRU/BHIWANI

संबंधित प्राचार्य, डाईट अविलंब पत्र प्रतिहस्ताक्षर करते हुए वर्णित इण्टर्न को उसके नाम के सामने दर्शाए गए विद्यालय में कार्यग्रहण करवाए। इस बात का ध्यान रखा जाना है कि इण्टर्न को इण्टर्नशिप के केवल न्यूनतम 90 कार्यदिवस पूर्ण करने की अनुमति प्रदान की गई है। किसी भी अवस्था में 90 कार्यदिवस से अधिक इण्टर्नशिप किए जाने की अनुमति नहीं होगी, इसलिए विद्यालय मुखिया इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इण्टर्न के 90 कार्यदिवस पूर्ण होते ही पूर्व निर्धारित फॉर्मूले अनुसार ग्रेड का आकलन करते हुए ग्रेड संबंधित डी.एड. सस्थानों को भिजवाएंगे।

  
सहायक निदेशक (शैक्षिक)  
कृते : सचिव

प्रतिहस्ताक्षर  
संबंधित प्राचार्य, डाईट